दिनांक 29 मार्च, 2018 को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम– 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम स्थानों का चिन्हांकन किये जाने सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण / प्रतिभागीगण:–

1. डा0 डी0पी0पन्त, निदेशक (चि0स्वा0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
2. डा0 प्रेमलाल, अपर निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. डा0 तृप्ति बहुगुणा, अपर निदेशक(नियोजन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
4. डा0 एस0पी0 अग्रवाल, अपर निदेशक(चि0उ0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
5. डा0 कैलाश जोशी, संयुक्त निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
6. डा0 अनूप कुमार डिमरी, संयुक्त निदेशक (पैरा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
7. श्री अरुण कुमार पाण्डे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।

महानिदेशक, महोदय की अध्यक्षता में बैठक का प्रारम्भ करते हुये निदेशक (चि0स्वा0) द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक 08 फरवरी, 2018 तथा असाधारण गजट संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 5 जनवरी, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने हेतु सुगम दुर्गम स्थानों का चिन्हांकन किया जाना है। तदनुसार सुगम दुर्गम स्थानों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम– 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018) की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन निम्नानुसार किया गया :–

क्र.सं.	जनपद	सुगम क्षेत्र	दुर्गम क्षेत्र
1.	देहरादून	समस्त क्षेत्र (विकास खण्ड चकराता दुर्गम तथा कालसी मुख्यालय को छोड़कर शेष दुर्गम)	विकास खण्ड चकराता दुर्गम तथा ब्लॉक मुख्यालय कालसी को छोड़कर अन्य क्षेत्र दुर्गम
2.	टिहरी गढ़वाल	नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर नई टिहरी जिला मुख्यालय	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती तथा नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर व नई टिहरी जिला मुख्यालय को छोड़कर)
3.	उत्तरकाशी	–	समस्त क्षेत्र
4.	पौड़ी गढ़वाल	नगर पालिका परिषद कोटद्वार नगर पालिका परिषद दुगड्डा	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद कोटद्वार तथा नगर पालिका परिषद दुगड्डा को छोड़कर)
5.	रुद्रप्रयाग	–	समस्त क्षेत्र

?projector=1&messagePartId=0.1

02 001.jpg

क्र.सं.	जनपद	सुगम क्षेत्र	दुर्गम क्षेत्र
6.	चमोली	—	समस्त क्षेत्र
7.	हरिद्वार	समस्त क्षेत्र	—
8.	उधमसिंहनगर	समस्त क्षेत्र	—
9.	नैनीताल	नगर पालिका नैनीताल/भीमताल नगर पालिका कालाढूंगी/विकास खण्ड हल्द्वानी/विकास खण्ड रामनगर, नैनीताल	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका नैनीताल/भीमताल नगर पालिका कालाढूंगी/विकास खण्ड हल्द्वानी/विकास खण्ड रामनगर, नैनीताल को छोड़कर)
10.	अल्मोड़ा	जिला मुख्यालय	समस्त क्षेत्र (जिला मुख्यालय को छोड़कर)
11.	बागेश्वर	—	समस्त क्षेत्र
12.	चम्पावत	नगर पालिका परिषद टनकपुर/बनबसा	समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद टनकपुर/बनबसा को छोड़कर)
13.	पिथौरागढ़	—	समस्त क्षेत्र

तदोपरान्त बैठक इस ज्ञापन के साथ महानिदेशक महोदय द्वारा समाप्त की गयी कि उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णयों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराडा, देहरादून।

संख्याः–2प/रा0पु0/20/2018/ 7792 दिनांक 31 मार्च, 2018

प्रतिलिपिः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार 02 दिन के अन्दर सुगम/दुर्गम चिकित्सा इकाईयों की सूची इस महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ज़िला महिला/पुरूष/बेस/संयुक्त/नागरिक/अन्य समस्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार 02 दिन के अन्दर सुगम/दुर्गम चिकित्सा इकाईयों की सूची इस महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. आई0ई0सी0 अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।

(अर्चना श्रीवास्तव)
महानिदेशक।